न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

श्रीपाल पिता स्वर्गीय श्री देवचन्द जैन, निवासी खान्दु कॉलोनी, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. गुरूमेलसिंह पिता श्री अमरीकसिंह, जाति पंजाबी सिक्ख, निवासी सुभाष नगर, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. जितेन्द्र कुमार पिता श्री मांगीलाल कटारा, जाति भील, निवासी दक्षिण काली मंदिर के पास, भवानपुरा खान्दू कॉलोनी, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती कमला पत्नी श्री मांगीलाल कटारा, जाति भील, निवासी दक्षिण काली मंदिर के पास, भवानपुरा खान्दू कॉलोनी, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. राजेश कुमार पिता श्री मांगीलाल कटारा, जाति भील, निवासी दक्षिण काली मंदिर के पास, भवानपुरा खान्दू कॉलोनी, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. विष्णु पिता श्री मांगीलाल कटारा, जाति भील, निवासी दक्षिण काली मंदिर के पास, भवानपुरा खान्दू कॉलोनी, बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ा

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 21.05.2015 प्र.सं. 45/2011

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री एच. एल. जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रे0 सं0 1

———::———

निर्णय **दिनांक 21–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 व 209 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी नंबर 1565/7 रकबा 3 बीघा ग्राम ठीकरिया में स्थित है, किन्तु प्रतिवादीगण जबरन हस्तक्षेप करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 21–05–2015 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–06–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की है, न ही पक्षकारान की कोई साक्ष्य लेखबद्ध की है तथा प्रकरण शिविर में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने उसका वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हालांकि वक्त निर्णय राजस्व कैम्प में अपीलान्ट/वादी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की जांच करवाकर मौके पर वादी/अपीलान्ट की भूमि पर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करना पाया है तथा प्रतिवादीगण का कब्जा उनकी स्वयं की खाते की जमीन पर होना पाया

है एवं इसी आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2015 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीपाल पिता स्व. श्री देवचन्द जैन, निवासी खान्दुकॉलोनी, बांसवाड़ा, तहासील व जिला बांसवाड़ा बनाम **गुरूमेलसिंह पिता श्री अमरीकसिंह, जाति पंजाबी सिक्ख, नि0 सुभाष नगर तहसील बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**19/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बांसवाड़ा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**21**.....माह.....**05**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री एल. एल. जैन**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री यशपाल गुप्ता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2015 यथावत रखा जाता है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 13:54:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: